भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 150

(दिनांक 02.02.2022 को उत्तर के लिए)

उच्च अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार/आपराधिक आरोप

150. श्री ए.के.पी. चिनराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उच्च अधिकारियों और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार या अन्य अपराधों के संबंध में 01 जनवरी, 2011 से 30 सितम्बर, 2021 तक विभिन्न न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अपने खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जाने के बावजूद अब भी सेवा में हैं;

(घ) क्या 01.01.2018 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 96 उच्च अधिकारियों के खिलाफ 84 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने अधिकारी निलंबन के बिना अब भी सेवा में हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.) : 01 जनवरी, 2011 से 30 सितम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 805 उच्च अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में 662 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

दिनांक 01.01.2018 से 30.06.2021 तक की अवधि के दौरान सीबीआई द्वारा 84 मामलों में 96 ऐसे अधिकारियों, जिनमें 55 अधिकारी अभी भी सेवारत हैं, के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं।

******